<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 245/2026

सुरेन्द्र चौधरी पुत्र श्री जीवणराम चौधरी, निवासी गांव तिहारी, पुलिस थाना श्रीनगर, अजमेर।

–– प्रार्थी–अभियुक्त

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, अजमेर। –– अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 09/2026 (सी.आई.एस.नं. 1403/26) राज. सरकार बनाम राजेश व अन्य, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, संख्या–3, अजमेर, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 357/2025, पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज, अजमेर, अपराध अन्तर्गत धारा 309(4), 61(2)(ए)भारतीय न्याय संहिता

<u>उपस्थित</u>

1– श्री परमेश्वर चौधरी व श्री महेश मेहरा, अधिवक्तागण, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से।

2– श्री जे.पी.शर्मा, लोक अभियोजक, राज. राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक–12.03.2026</u>**

1. प्रार्थी–अभियुक्त सुरेन्द्र चौधरी की ओर से यह जमानत का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधिवक्ता श्री परमेश्वर चौधरी, ने प्रस्तुत किया, जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

2. प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी कमल कान्जानी ने एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 03.12.2025 को थानाधिकारी, पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज, अजमेर के समक्ष इस आशय की पेश की कि करीब एक महीने पहले उसने अपने गांधीगृह वाले मकान का बैचान विजय, निवासी अजमेर को किया था, जिसके पैसे देने के लिए भरत, निवासी मालू का गोदाम, अजमेर दिनांक 03.12.2025 को समय करीब 8.15–8.25 पी.एम. पर प्रेम प्रकाश आश्रम के पास आया था, तभी वह आटा चक्की की दुकान से स्कूटी पर रवाना होकर प्रेम प्रकाश आश्रम के तिराहे पर आया तो वहां पर भरत स्कूटी पर खड़ा था, जिसने थैली में रखे राशि 23,39,000/–(अक्षरे तैईस लाख उनचालीस हजार रूपये) दिये, जिसको वह अपने घर पर रखने के लिए जा रहा था। वह स्कूटी से प्रेम प्रकाश आश्रम के पीछे वाले गेट के पास

Authenticated Document

पहुंचा, तो सामने से दो गाड़ियों पर तीन–चार लड़के आये और उसकी स्कूटी के टक्कर मारकर उसे नीचे गिरा दिया। उसे जान से मारने की धमकी देते हुए पैसों से भरी थैली को छीनकर चौरसियावास रोड़ व सी.आर.बिल्डिंग की तरफ भाग गये। उसने उसके साथ हुई घटना की जानकारी भरत को दी और उसने व भरत ने अज्ञात लड़कों का पीछा किया, परन्तु वे उनके हाथ नहीं आये और भाग गये, इत्यादि रिपोर्ट पर पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज, अजमेर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 357/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 309(4) भारतीय न्यायिक संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 309(4), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप–पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया है।

3. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया है कि प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा श्रवण योग्य है। प्रकरण में सह–अभियुक्त का जमानत आवेदन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से स्वीकृतशुदा है। प्रार्थी–अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए, निवेदन किया है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध अन्वेषण तंत्र ने जुर्म धारा 309(4), 61(2)(ए)भारतीय न्याय संहिता का आरोप प्रमाणित माना है। सह–अभियुक्तगण का जमानत आवेदन इस न्यायालय से खारिजशुदा है। **उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त सुरेन्द्र चौधरी सहित अन्य अभियुक्तगण सूरज चौधरी, दिलखुश व देशराज की दिनांक 18.12.2025 को तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष परिवादी से केन्द्रीय कारागृह, अजमेर में नियमानुसार कार्यवाही शिनाख्तगी कार्यवाही की गई है, जिसमें भी परिवादी द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त सुरेन्द्र चौधरी की पहचान की गई है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर आजाद हुए सह–अभियुक्तगण खुशीराम व राजेश से प्रार्थीगण अभियुक्तगण का मामला भिन्न प्रकृति का है।** अतः प्रार्थी–अभियुक्त के अपराध की गम्भीरता को देखते हुए, प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 03.12.2025 को प्रेम प्रकाश आश्रम के पीछे वाले गेट के पास, चौरसीयावास रोड़, अजमेर पर परिवादी कमल कान्जानी के हाथ से 23 लाख 39 हजार रूपये से भरी थैली, परिवादी से लूटकर ले जाने के आरोप में आरोप–पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है, जो निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	मुकदमा संख्या	अपराध अन्तर्गत धारा	पुलिस थाना	विवरण
1	55/2024	323, 143, 342, 365,392,308 भा.दं.सं.	अराई, जिला अजमेर	–
2	183/2024	115(2), 126(2), 110, 3(5) बी.एन.एस.	श्रीनगर, जिला अजमेर	–

सह–अभियुक्तगण खुशीराम व राजेश की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 1208/2025 खुशीराम व अन्य बनाम राज.राज्य जरिये आदेश दिनांक 16.12.2025 तथा सह–अभियुक्तगण सूरज चौधरी व दिलखुश की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 102/2026 सूरज चौधरी व अन्य बनाम राज.राज्य जरिये इस आदेश दिनांक 22.01.2026 इस न्यायालय द्वारा खारिजशुदा है, तत्पश्चात सह–अभियुक्तगण खुशीराम व राजेश की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत जमानत आवेदन एकल पीठ दाण्डिक विविध जमानत आवेदन संख्या 16986/2025 खुशीराम बनाम राज.राज्य व एकल पीठ दाण्डिक विविध जमानत आवेदन संख्या 689/2026 राजेश जाट बनाम राज.राज्य जरिये आदेश दिनांक 19.01.2026 से स्वीकृतशुदा है। न्यायालय की विनम्र राय में प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एकल पीठ दाण्डिक विविध जमानत आवेदन संख्या 861/2021 खेतसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि जहां पर किसी प्रकरण के एक अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. (वर्तमान धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) सेशन न्यायाधीश द्वारा खारिज करने के पश्चात उसकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर दी जाती है और अन्य सह–अभियुक्त जिसका मामला, माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर मुक्त हुए सह–अभियुक्त के मामले के समतुल्य होना पाया जाता है, तो सेशन न्यायाधीश को उस सह–अभियुक्त को भी जमानत पर मुक्त करना चाहिए। न्यायालय की विनम्र राय में प्रार्थी–अभियुक्त का मामला सह–अभियुक्तगण

Authenticated Document

खुशीराम चौधरी व राजेश जाट के मामले से समतुल्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थी–अभियुक्त सुरेन्द्र चौधरी सहित अन्य अभियुक्तगण सूरज चौधरी, दिलखुश व देशराज की दिनांक 18.12.2025 को तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष परिवादी से बापर्दा केन्द्रीय कारागृह में नियमानुसार शिनाख्त कार्यवाही करवायी गयी है। वर्तमान समय में इस प्रकार के अपराधों में आये दिन बढ़ोत्तरी हो रही है, जिससे सभ्य समाज पर घोर विपरीत प्रभाव कारित होता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, लूट की भारी राशि इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, अपराध की गम्भीरता को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः प्रार्थी–अभियुक्त सुरेन्द्र चौधरी की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

उक्त आदेश की एक प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (रिट याचिका संख्या 1082/2020) में जारी निःशुल्क विधिक सहायता सुविधाओं के बारे में पारित निर्देशों की जानकारी हेतु मुलजिम को कवर शीट के साथ उपलब्ध कराने हेतु जरिये ई–मेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर को प्रेषित की जावे।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर

8. आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर

DINESH MUNDRA
Digitally signed by DINESH MUNDRA
Date: 2026.03.12 14:40:25 +0530

Authenticated Document